CNR No. : RJKB090006462026, CNR No. : RJKB090006502026, CNR No. : RJKB090006592026

।। न्यायालय - अपर सेशन न्यायाधीश, बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज. ।।

पीठासीन अधिकारी : **अजन्ता अग्रवाल,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

I. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 01/188/2026
सीआईएस नंबर : 135/2026
सीएनआर नंबर : RJKB090006462026

प्रशान्त उर्फ गोलु पुत्र रामभगत, उम्र 29 साल, साहरणवास, पुलिस थाना रामपुरा, जिला रेवाडी, हरियाणा हाल मनोज जाट के पास ग्राम सोडावास, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान।

II. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 01/190/2026
सीआईएस नंबर : 137/2026
सीएनआर नंबर : RJKB090006502026

मन्जे पुत्र बाबूलाल, उम्र 35 साल, निवासी प्रतापसिंहपुरा, थाना नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।

III. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 01/192/2026
सीआईएस नंबर : 139/2026
सीएनआर नंबर : RJKB090006592026

आरिफ पुत्र महबूब, उम्र 25 साल, निवासी अजीजपुर, थाना ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान।

--प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक

CNR No. : RJKB090006462026, **CNR No. :** RJKB090006502026, **CNR No. :** RJKB090006592026
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/188/2026, CIS No.: 135/2026, प्रशांत उर्फ गोलु **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/190/2026, CIS No.: 137/2026, मन्जे **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/192/2026, CIS No.: 139/2026, आरिफ **बनाम** राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक : 10.08.2026

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस,
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2026, पुलिस थाना हरसौरा,
अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 61(2), बीएनएस
व 3/25 आर्म्स एक्ट

<u>उपस्थितिः</u>

1. श्री मुकेश सिंह शेखावत, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रशांत उर्फ गोलु व आरिफ की ओर से।
3. श्री शिवचरण रावत, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त मन्जे की ओर से।

--आदेश-- **दिनांकः 10.08.2026**

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रशांत उर्फ गोलु, मन्जे व आरिफ की ओर से अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के तहत पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2026, पुलिस थाना हरसौरा में प्रस्तुत हुए, जिनकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिनके द्वारा अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तीनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2- विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें पुलिस ने झूंठा फंसाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, जो मजदूरी का कार्य कर उनका व उनके परिवार का पालन-पोषण करते हैं, यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो उनके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अभिकथित अपराध न तो कारित किया गया है और न ही उक्त अपराध से प्रार्थीगण का संबंध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया, जो आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड से दण्डनीय हो। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

3- विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

CNR No. : RJKB090006462026, CNR No. : RJKB090006502026, CNR No. : RJKB090006592026
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/188/2026, CIS No.: 135/2026, प्रशांत उर्फ गोलु **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/190/2026, CIS No.: 137/2026, मन्जे **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/192/2026, CIS No.: 139/2026, आरिफ **बनाम** राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक : 10.08.2026

4- उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.07.2026 को परिवादी अमर सिंह एएसआई, पुलिस थाना हरसौरा ने पुलिस थाना हरसौरा में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.07.2026 को समय 12.30 पीएम पर सूचना मिलने के आधार पर अमर सिंह एएसआई मय पिस्टल मय 05 कारतूस मय जाप्ता वास्ते सूचना तस्दीक करने हेतु थाने से दिनांक 20.07.2026 को समय 12.36 पीएम पर रवाना होकर गांव गुवाडा से रघुनाथपुरा रोड पर खेत में बने मकान के पीछे पहुंचे, जहां पर देखा कि ट्रोला चैचिस व घोडा, ACE हाईड्रा (क्रेन मशीन), दो लोडिंग पिकअप वाहन, वाहन बोलेरो व तीन मोटर साईकिल खड़ी हुयी तथा पास में गैस कटर सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर एवं अन्य कटाई उपकरण व टूल्स औजार रखे हुये नजर आये तथा वाहन ट्रोला चैचिस की कटाई करने में 7-8 व्यक्ति लगे हुये थे, जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर भागने लगे एएसआई ने जाप्ता की मदद से घेरा देकर डिटेन किया तो कुछ व्यक्ति भागने में सफल हो गये जिनमें से डिटेन किये गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम प्रशान्त उर्फ गोलू पुत्र रामभगत, उम्र 29 साल, निवासी साहरणवास पुलिस थाना रामपुरा जिला रेवाडी हरियाणा हाल मनोज जाट के पास ग्राम सोडावास पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा राज, दूसरे व्यक्ति ने विक्रम कुमार पुत्र कालूराम, उम्र 38 साल, निवासी चिरूणी पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा राज., तीसरे व्यक्ति ने प्रकाशचन्द पुत्र नत्थुराम, उम्र 58 साल, निवासी पीपली, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, चौथे व्यक्ति ने सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, उम्र 32 साल, निवासी पीपली, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, पांचवे व्यक्ति ने मोनू वर्मा पुत्र सतीश कुमार, उम्र 26 साल, निवासी सोडावास, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, राज. व छठे व्यक्ति ने राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम, उम्र 27 साल, निवासी सोडावास, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा का होना बताया। डिटेनशुदा व्यक्तियों से वहां पर मौजूद सामान, उपकरण व वाहन के बारे में पूछा तो उक्त सभी डिटेनशुदा व्यक्तियों में से प्रशान्त उर्फ गोलू ने बताया कि वह मनोज कबाडी, निवासी सोडावास की दुकान पर काम करता है, वहां से उसे आरिफ पुत्र नाम नामालूम, निवासी अजीजपुर, पुलिस थाना ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा राज, ने अपनी मोटर साईकिल टीवीएस कम्पनी RAIDER पर बैठाकर मनोज कबाडी का गैस कटर सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर एवं अन्य कटाई उपकरण, टूल्स औजार को साथ लेकर वहां पर आये थे। वहां पर उसे विजय गुर्जर पुत्र चिमाराम ठेकेदार, निवासी गुवाडा, पुलिस थाना हरसौरा, जिला कोटपूतली-बहरोड राज. व इनके साथी दो-तीन अन्य व्यक्ति थे जिनको वह

नहीं जानता है। वहां पर वाहन ट्रोला का चैचिस मय घोड़ा (केबीन), दो पिकअप वाहन, एक वाहन ट्रोला का चैचिस (फ्रेम), एक ACE हाईड्रा (क्रेन मशीन), एक महिन्द्रा कम्पनी बोलेरो गाड़ी, दो मोटर साईकिल खड़ी हुई थी। यह सभी वाहन व सामान विजय गुर्जर व आरिफ मेव व इनके साथीयों का है। उसे तो वे लोग ट्रोला के चैचिस को काटने के लिए लेकर आये थे। उसने ही ट्रोला का घोडा (केबिन) को खोला था जिसको क्रेन की मदद से उठाकर साईड में रख दिया था। ट्रोला के टायर, इंजन अन्य सभी सामान को उसने खोला व वहां पर खडी दो पिकअप में लोड कर रहे थे तथा ACE हाईड्रा (क्रेन मशीन) पर चालक विक्रम कुमार व सहयोगी प्रकाश चन्द व सुनील कुमार होना बताया तथा पिकअप रजि. नं. RJ32GE2110 का चालक मोनू वर्मा व पिकअप रजि. नं. RJ32GC1338 का चालक राहुल शर्मा होना बताया, जिन्होंने बताया यह खेत व पास में बना मकान विजय गुर्जर का है जो उसे पूर्ण जानकारी है तथा यह ट्रोले भी वहां पर विजय गुर्जर ने ही खडे करवाये हैं। उनके सहयोग से इन ट्रोलों की कटाई करके पिकअप वाहन में सामान भरकर बाहर भेजने के लिए विजय गुर्जर व आरिफ मेव ने उन्हें बुलाया था, जिस पर उक्त लोगों से ट्रोला वाहनों के आर.सी. व कागजात के संबंध में स्वयं के पास या विजय गुर्जर व आरिफ गुर्जर के पास होने की कोई जानकारी नहीं बतायी तथा बताया कि विजय गुर्जर व आरिफ मेव व इनके साथी बाहर से ट्रोला वाहन चोरी कर लाते है और उनकी कटाई कर सामान को पिकअप से दूर दराज ईलाकों में बेचान करते हैं। वे दोनो ट्रोला भी विजय गुर्जर व आरिफ मेव व इनके साथीयों के द्वारा विजय गुर्जर के घर के पास खेत पर लाकर खड़े किये थे। उक्त घटनाक्रम व पूछताछ व जानकारी के आधार पर उक्त ट्रोला विजय गुर्जर व आरिफ मेव व इनके साथियों के द्वारा कही अन्य स्थानों से चोरी कर यहां पर लाकर खड़े करना पाया गया हैं तथा मनोज कबाडी निवासी सोडावास का भी इस में सम्मलित होना सामने आया है। मौके से ओमप्रकाश एएसआई आईसी थाना मय वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक दिनेश कुमार चालक कॉन्स्टेबल नंबर 1056 के मौके से फरार हुये विजय गुर्जर, आरिफ मेव व मनोज कबाडी निवासी सोडावासी की तलाश हेतु एएसआई को मौके की कार्यवाही करने निर्देश दिया जाकर रवाना हुए। एएसआई के द्वारा ट्रोला वाहन का घोडा (केबिन) के आगे कांच पर रजि. नं. HR55BB8132 का लेबल लगा हुआ मिला तथा चैचिस की फ्रेम पर चैचिस नम्बर देखा तो जिसके चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 लिखा हुआ मिला इसी प्रकार दूसरे चैचिस की फ्रेम पर चैचिस नम्बर MAT777016N3P34899 लिखा हुआ मिला। दोनों ट्रोला के चैचिस नम्बरों को थाना हाजा की ई-चालान मशीन से चैक किया तो ट्रोला चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 का रजि. नं. HR55BB8132 इंजन नम्बर B5.6B62220D02162A64553015 हैं। उक्त ट्रोला फर्म गंगा लोजिस्टिक फर्म के नाम रजिस्टर्ड है। दूसरा ट्रेलर चैचिस (फ्रेम) का रजि. नं.

CNR No. : RJKB090006462026, CNR No. : RJKB090006502026, CNR No. : RJKB090006592026
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/188/2026, CIS No.: 135/2026, प्रशांत उर्फ गोलु **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/190/2026, CIS No.: 137/2026, मन्जे **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/192/2026, CIS No.: 139/2026, आरिफ **बनाम** राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक : 10.08.2026

RJ25GA6245 मिठठूलाल गुर्जर के नाम रजिस्टर्ड है। चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 का रजि. नं. HRS5BB8132 के वाहन स्वामी के मोबाईल नम्बर 9999767753 पर सम्पर्क किया तो महेश यादव पुत्र शिवलाल यादव, निवासी H.N-95 बडा बाजार बादशाहपुर गुरूग्राम के व्यक्ति ने फोन उठाया जिससे उक्त नम्बरों वाहन के बारे में मालुमात की तो बताया कि उसकी पत्नी कान्ता के नाम से गंगा लोजिस्टिक फर्म है। उक्त ट्रोला गंगा लोजिस्टिक फर्म के नाम से रजिस्टर्ड हैं। उसका ट्रोला दिनांक 17.07.2026 व 18.07.2026 की रात्रि को सेक्टर 11 भांगरोला मानेसर, थाना खेडकी दोला, जिला गुरूग्राम हरियाणा से चोरी हुआ हैं। जिसकी एफआईआर नम्बर 412/2026 धारा 305 बीएनएस में दिनांक 18.07.2026 को थाना खेडकी दोला पर दर्ज हैं। दूसरा ट्रोला चैचिस (फ्रेम) चैचिस नम्बर MAT777016N3P34899 का रजि. नं. RJ25GA6245, इंजन नम्बर B6 7B6A250D06222M64255050 के वाहन स्वामी के मोबाईल नम्बर 9983667383 पर सम्पर्क किया तो मिठठूलाल गुर्जर पुत्र चिरंजीलाल, निवासी ब्लॉक B हिण्डोन करोली रोड गंगापुर सिटी पुलिस थाना उदयीमोड, जिला सवाई माधोपुर नाम के व्यक्ति ने फोन उठाया जिससे उक्त नम्बरों वाहन के बारे में मालुमात की तो बताया कि यह ट्रेलर उसके स्वयं के नाम रजिस्टर्ड हैं। उसका ट्रेलर दिनांक 13.07.2026 व 14.07.2026 की रात्रि को मलाराना डूंगर HP पेट्रोल पम्प, थाना मलाराना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर से चोरी हुआ हैं। जिसकी एफआईआर नम्बर 153/2026 धारा 303(2) बीएनएस में दिनांक 16.07.2026 को थाना मलाराना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर पर दर्ज होना पाया गया हैं। दोनों चैचिस नम्बरों की चोरी होने की दर्ज एफआईआर एएसआई ने अपने मोबाईल फोन पर जरिये वाहट्सएप मंगवायी जाकर अवलोकन किया गया। मौके पर उमेश कुमार निठारवाल आरपीएस, वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर व राजेश कुमार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना बानसूर उपस्थित आये, उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर एएसआई को कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश फरमाया। मौके पर जिला एफएसएल टीम व जिला साईबर टीम उपस्थित आई। दोनों टीमों द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य सबत संकलन किये गये। मौके पर खड़े वाहन व उपकरणों की जप्ती की कार्यवाही अमल में लायी गई, जिसमें ट्रेलर चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 के फ्रेम जैक व लोहे के पाईप व रिम पर खड़ी हुई, एक घोडा (केबिन) सफेद रंग के रजि. नं. HR55BB8132, पिकअप रजि. नं. RJ32GE2110 चैचिस नम्बर MAIZM2TTKS1F55984 व इंजन नम्बर TTS1F43983 है जिसमें ट्रेलर चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 का इंजन व MRF कम्पनी के 06 टायर, प्लास्टिक के 02 टायर मरघाट, 06 रिम, दो बेट्री, गिरय बक्सा व इलैक्ट्रीक वाईरिंग भरे हुये, पिकअप रजि. नं. RJ32GC1338 जिसमें ट्रेलर चैचिस नम्बर MAT503303T2A02426 का डीजल टेक प्लास्टिक, साईलेन्सर, सामने का

बम्फर, लोहे का टूल बॉक्स, रेडियेटर, लाईट व कुछ टूल बक्सा नट, बुल्ट सामान भरे हुये, पिकअप के पीछे जमीन पर खुले स्थान पर एक रेडियटर की जाली व ट्रेलर स्ट्रेरींग व गैस कटर सेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर एवं अन्य कटाई उपकरण, टूल्स औजार पडे हुये, एक ट्रोला चैचिस फ्रेम जिस पर चैचिस नम्बर MAT777016N3P34899 लिखा हुआ जो जमीन पर पड़ा हुआ, एक ACE हाईड्रा (क्रेन मशीन) रजि. नं. RJ02EA3642 की नम्बर प्लेट लगी हुई, एक मोटर साईकिल हीरो कम्पनी स्पलेण्डर प्लस बरंग काला व सिल्वर पट्टी रजि. नम्बर RJ14k392, चैचिस नम्बर MBLHAW235P9, एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा कम्पनी CD-DWON बरंग सिल्वर बिना नम्बरी चैचिस नम्बर 07B22F03390, एक महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी बरंग सफेद जिसके रजि. नं. HR35E7439 व एक मोटर साईकिल टीवीएस कम्पनी RAIDER बरंग लाल रजि. नं. RJ02DF9941 जब्त किये गये। उक्त मोटर साईकिल की तलाश में साईड बैग में एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में एक देशी कट्टा व दो जिन्दा कारतूस मिले, आदि।

6- उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रशांत उर्फ गोलु, मन्जे व आरिफ को क्रमशः दिनांक 21.07.2026, 03.08.2026 व 02.08.2026 को गिरफ्तार किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर द्वारा क्रमशः दिनांक 24.07.2026, 04.08.2026 व 06.08.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए गए, जिसके पश्चात प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

7- उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8- अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रशांत उर्फ गोलु एवं आरिफ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा प्रार्थी/अभियुक्त मन्जे के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 61(2) बीएनएस के आरोप है। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मन्जे एवं आरिफ का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा अभियुक्त प्रशांत उर्फ गोलु का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न

CNR No. : RJKB090006462026, CNR No. : RJKB090006502026, CNR No. : RJKB090006592026
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/188/2026, CIS No.: 135/2026, प्रशांत उर्फ गोलु **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/190/2026, CIS No.: 137/2026, मन्जे **बनाम** राजस्थान राज्य
ज. प्रा. पत्र सं.: 01/192/2026, CIS No.: 139/2026, आरिफ **बनाम** राजस्थान राज्य
आदेश दिनांक : 10.08.2026

प्रकार हैः-

क्रमांक	मुकदमा संख्या मय दिनांक	अपराध धारा	पुलिस थाना
1	07/03.03.2017	08 पोक्सो एक्ट	महिला थाना रेवाड़ी

9- उपरोक्त आपराधिक रिकॉर्ड से प्रार्थी/अभियुक्त प्रशांत उर्फ गोलु का पूर्व में आपराधिक प्रकरण में संलिप्त होना दर्शित होता है। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर संगठित अपराध कारित करने, ट्रोला नंबर एचआर-55 बीबी-8132 एवं ट्रेलर नंबर आरजे-25 जीए-6245 की चोरी कर अपने कब्जे में रखने, चोरी किए गए ट्रोला/ट्रेलर के चेचिस एवं उसके विभिन्न पुर्जो को गैस कटर एवं अन्य उपकरणों की सहायता से काटकर उन्हें विक्रय, खुर्द-बुर्द एवं अभ्यासतः व्यवहार करने तथा मौके से एक अवैध देशी कट्टा मय दो जीवित कारतूस बरामद होने के गंभीर आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान लंबित है। प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तगण राहुल कुमार एवं मोनू वर्मा के जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्रमशः आदेश दिनांक 30.07.2026 व 31.07.2026 द्वारा खारिज किये जा चुके हैं। बानसूर क्षेत्र में इस प्रकृति के अपराध दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10- परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रशांत उर्फ गोलु, मन्जे व आरिफ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किए जाते हैं।

(अजन्ता अग्रवाल)

11- आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजन्ता अग्रवाल)